Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

श्री अजय सिंह पिता नटवर सिंह	बनाम	श्री नटवर सिंह पिता रायसिंह राजपूत वगैरहा	
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0 461	सन् 2024	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 23.07.2024	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम बबराणा पटवार हल्का बबराणा, भू0अ0नि0 क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1749/1510 रकबा 0.2276 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1747/363 रकबा 0.0569 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रार्थी के दादा व परदादा द्वारा संयुक्त परिवार के धन से खरीदी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 आये दिन विवाद उत्पन्न करते है व फसल लेने में बाधा उत्पन्न करते है एंव वादग्रस्त आराजियात को बिना विभाजन कराये ही खुर्द–बुर्द करने एवं अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण कि ग्राम बबराणा पटवार हल्का बबराणा की आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1749/1510 रकबा 0.2276 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1747/363 रकबा 0.0569 हैक्टयर भूमि के उपयोग– उपभोग व काश्त करने पर किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, भूमि को अन्तरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। हमनें वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्ताव़ेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की संयुक्त शामलाती की होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्य को विक्रय/अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बबराणा पटवार हल्का बबराणा की आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1749/1510 रकबा 0.2276 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1747/363 रकबा 0.0569 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें, वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग को हस्तान्तरित नहीं करे व न अन्य से करावें। मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस सम्मन पेश करने पर जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 12.08.2024 को पेश हो। Shad उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

12/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 28/10/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

28-10-24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि० उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन Regd. पेश हो। पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 16-01-25 को पेश हो।

16/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 5/2/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

05-02-25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। राजस्व ग्रुप राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना दिनांक 01-01-25 अनुसार तहसील भीलवाड़ा, माण्डल, करेड़ा का पुनर्गठन होने से उक्त प्रकरण ग्राम ककराना का होने से क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का न होकर उपखण्ड न्यायालय करेड़ा का है अतः पत्रावली न्यायालय उपखण्ड न्यायालय करेड़ा स्थानान्तरित की जावे। प्रकरण नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा